संख्या-03/2026/105/47-का-2-2026

प्रेषक,

एस.पी. गोयल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।**
2. **समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 फरवरी, 2026

विषय: उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण।

महोदया/महोदय,

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (यथासंशोधित) नियमावली-1974 प्रवर्तन में है। उक्त नियमावली का मूल उद्देश्य सरकारी सेवक के आकस्मिक मृत्यु के उपरान्त उसके परिवार पर आई आपदा/तात्कालिक आर्थिक संकट से उसे उबारना है।

2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (यथासंशोधित) नियमावली, 1974 के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, जिससे उक्त नियमावली की मूल भावना की पूर्ति न होने से इस व्यवस्था का लाभ संबंधित को ससमय प्राप्त नहीं हो पा रहा है। फलत: मृतक आश्रित परिवारों को आर्थिक एवं मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त नियमावली से आच्छादित समस्त प्रकरणों का विलम्बतम तीन माह में पारदर्शिता के साथ समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
एस.पी. गोयल
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in